एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर– 99 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– अमीर खां पिता सरदार मोहम्मद पठान निवासी पठान मौहल्ला बनेड़ा तहसील बनेड़ा
2– अलादीन खा पिता सरदार मोहम्मद पठान निवासी पठान मौहल्ला बनेड़ा तहसील बनेड़ा
3– नफीसा बानो पिता सरदार मोहम्मद पठान निवासी पठान मौहल्ला बनेड़ा तहसील बनेड़ा
4– अकीला बानो पत्नी नवाब खां पठान निवासी पठान मौहल्ला बनेड़ा तहसील बनेड़ा
5– मोहम्मद हनीफ पिता सरदार मोहम्मद पठान निवासी पठान मौहल्ला बनेड़ा तहसील बनेड़ा
6– शरीफ मोहम्मद पिता सरदार मोहम्मद पठान निवासी पठान मौहल्ला बनेड़ा तहसील बनेड़ा
7– हसीना बानो पिता सरदार मोहम्मद पठान निवासी पठान मौहल्ला बनेड़ा तहसील बनेड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– अब्दुल वहीद पिता अब्दुल सत्तार पठान निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2– भैरू पिता गिरधारी बैरवा निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3– निर्मल पिता रामस्वरूप अजमेरा निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4– मोहन पिता हजारी बैरवा निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5– हजारी पिता दल्ला माली निवासी माली मौहल्ला बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बनेड़ा
7–तहसीलदार बनेड़ा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– ईकबाल मो. छीपा

निर्णय

दिनांक :– 07 / 03 / 2025

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता सं. 38 के आराजी नम्बर 4015, 4018, 4019, 4022, 4023, 4024, 4026, 4027, 521 कुल किता 09 रकबा 7.6005 है0** भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के **अप्रार्थीगण** पडौसी है। **प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण** के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थीगण** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का

अवलोकन किया गया। **ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता सं. 38 के आराजी नम्बर 4015, 4018, 4019, 4022, 4023, 4024, 4026, 4027, 521 कुल किता 09 रकबा 7.6005 है0 भूमि प्रार्थी** के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने

। की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का जस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार र्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता सं. 38 के आराजी नम्बर 4015, 4018, 4019, 4022, 4023, 4024, 4026, 4027, 521 कुल किता 09 रकबा 7.6005 है0** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक बनेडा** को **3100/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि **प्रार्थीगण** की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने

पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः **भू0अ0निरीक्षक बनेडा जो** कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **07–03–2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

न्यायालय / कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा